प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 07.11.2025

➢ **थाना रसूलाबद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 06.11.2025 को थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिरखास की सूचना पर अभियुक्त अवधेश पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम कारेरामपुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, को मय 01 अवैध तमंचा 312 बोर के साथ ग्राम कारेरामपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात स्थित रविकान्त गुप्ता के घर के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0स0 462/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अवधेश उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

अवधेश पुत्र श्रीराम उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम कारेरामपुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. म0अ0सं0- 0462/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलाबाद,जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना रसूलाबाद पुलिस टीम